सार-समाचार

ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म प्रणाली प्रारम्भ

उदयपुर, (कासं)। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी) में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस नई डिजिटल प्रणाली का उद्घाटन विद्यापीठ के कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत, गोविंद गुरु विश्वविद्यालय, राजकोट के कुलपति प्रो. प्रतापसिंह चौहान, विद्यापीठ के कुल प्रमुख भंवर लाल गुर्जर तथा प्रबंध मंडल (बोम) के सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रो. सारंगदेवोत ने कहा, "ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म से विद्यार्थियों को अत्यधिक सुविधा प्राप्त होगी और यह प्रक्रिया पारदर्शी, त्वरित तथा पेपरलेस होगी। विश्वविद्यालय द्वारा इन-हाउस बनाया गया यह सॉफ्टवेयर विद्यापीठ का डिजिटल इंडिया मिशन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।" गोविंद गुरु विश्वविद्यालय, राजकोट के कुलपति प्रो. प्रतापसिंह चौहान ने इस प्रणाली की सराहना करते हुए कहा, "इस तरह की तकनीकी पहलें उच्च शिक्षा में सुधार और डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करती हैं।"कुल प्रमुख भंवर लाल गुर्जर ने इस अवसर पर कहा कि "विद्यापीठ छात्रों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए तकनीकी रूप से सशक्त समाधान अपनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।"इस सॉफ्टवेयर को डॉ. चन्द्रेश कुमार छतलानी द्वारा बनाया गया है, इसमें विकास डांगी का सहयोग रहा। इस अवसर पर रजिस्ट्रार डॉ. तरुण श्रीमाली, पीजीडीन प्रो. जीएम मेहता, प्रो. गजेन्द्र माथुर, प्रो. कला मुणेत, डॉ. मनीष श्रीमाली, निजी सचिव केके कुमावत, आदि उपस्थित थे।

अवैध शराब के साथ 3 गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निसं)। बिछीवाडा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने बिछीवाडा में एक कंटेनर से राजस्थान निर्मित अवैध शराब को जब्त किया है। शराब को तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे। पुलिस ने ड्राइवर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिछीवाडा थाना पुलिस के अनुसार नेशनल हाईवे 48 पर राजस्थान-गुजरात के बॉर्डर पर बिछीवाडा में अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर गाडियों की तलाशी शुरू की। इस दौरान उदयपुर की ओर से आ रहे एक गुजरात नंबर के ट्रक को रुकवाया। ट्रकमें ड्राइवर सहित 3 लोग सवार थे। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली। जिस पर ट्रक से विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब से भरे कार्टन मिले। शराब परिवहन के कोई कागजात नहीं मिले। जिस पर पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया। पकडी गई शराब राजस्थान निर्मित है। जिसे अवैध रूप से गुजरात ले जाने के फिराक में थे। पुलिस ने शराब के साथ सर्वेश पुत्र शिवकेश कोली निवासी कानपुरवा थाना खखरेरू फतेपुर यूपी, अनिल कुमार पुत्र नारायणलाल डामोर निवासी छाणी फला असोडावाडा खेरवाडा, प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है।

नकदी हड़पने का मामला दर्ज

उदयपुर,(कासं)। शहर के सुखेर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लीज पर ली गई माईन्स के टैक्स का पैसा सरकार को जमा नहीं करवा हडपने का मामला दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित रणवीरसिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी केसरगंज गली नंबर 2, न्यू भुपालपुरा ने जयपुर निवासी महेन्द्र, हेमेन्द्र व उगेश नामक आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि आरोपियों को 2017 में मैने गोगुन्दा कस्बे में स्थित अपनी माईन्स को दो वर्ष के लिए लीज पर दी थी। इस दौरान आरोपियों ने सरकार को टेक्स का पैसा 9 लाख रूपये जमा नहीं करवा हडप लिए। कुछ समय बाद नोटिस मिलने पर इसका खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

कार से नकदी चोरी

उदयपुर,(कासं)। शहर के भुपालपुरा थानाक्षैत्र में कार का कॉच फोड़ कर नकदी चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित राधेश्याम सुथार पुत्र भेरूलाल निवासी विश्वास नगर पुरोहितों की मादड़ी हॉल आर एस इन्टर प्राईजेज मेहता सदन दुर्गानर्सरी रोड़ भुपालपुरा ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि 15 जनवरी दोपहर में मैं अशोक नगर मैन रोड़ पर गाडी खड़ी कर मित्र संदीप आमेटा के साथ दुर्गानर्सरी रोड़ पर पानी पतासे खाने के लिए आया था

पिकअप बरामद, तीन गिरफ्तार

बांसवाड़ा, (निसं)। पुलिस थाना राजतालाब ने खांदू कॉलोनी से चोरी पिकअप बरामद कर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि 12 जनवरी को बाहुबली कॉलोनी नाथेलाव निवासी सुरेश शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दी कि औद्योगिक क्षेत्र स्थित उसके कारखाने में धुलेश्वर पुत्र मोहनलाल भगोरा निवासी नाहरपुरा आनंदपुरी की नई गाड़ी पड़ी हुई थी जिसे अज्ञात चोर 11 जनवरी की रात्रि को गेट का ताला तोड़ चोरी कर ले गये। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अठावाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज व वृत्ताधिकारी गोपीचंद मीणा के निर्देशन में राजतालाब थानाधिकारी दिलीप सिंह व अनुसंधान अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक अब्दुल हकीम को वारदात का खुलासा कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। पुलिस टीम ने सूचना संकलित कर घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज देखे एवं संदिग्ध अभियुक्तों की तलाश करते हुए मुखबीर मामुर किये। जिस पर अरविन्द पुत्र गौतम मईड़ा निवासी काचलीखोरा गणाउ थाना सदर, प्रकाश पुत्र गौतम मईड़ा निवासी काचलीखोरा गणाउ एवं राकेश पुत्र शान्तु सारेल निवासी गामदा थाना आंबापुरा को डिटेन कर प्रकरण में चोरी की गयी पिकअप के बारे में पूछताछ की तो इन्होंने घटना कारित करना कबूल किया। पूछताछ के बाद पिकअप बरामद करते हुए तीनों अभियुक्तों को न्यायालय से पीसी रिमांड पर लिया गया। थानाधिकारी ने बताया कि प्रकरण में अन्य व्यक्तियों के सम्मिलित होने के बारे में अनुसंधान जारी है। पुलिस टीम में थानाधिकारी दिलीप सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अब्दुल हकीम, कांस्टेबल शैलेन्द्र सिंह, पवन कुमार, सिद्धार्थ सिंह, सिद्धराज सिंह व श्रवण सिंह शामिल रहे।

उदयपुर में बडगांव थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार पीडतडालु पुत्र देवा भील निवासी हाथीधर्रा बडगांव ने 9 जनवरी को पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि मैने दलीचंद पत्रु चुन्नीलाल निवासी दुर्गा कॉलोनी नीमच खेड़ा देवाली व नन्दलाल उर्फ नन्दु पुत्र कुका निवासी रेडा मोहल्ला शौभागपुरा को जमीन बेची थी तथा 10 लाख रूपये नकदी प्राप्त की तथा शेष नकदी बाद में देना तय हुआ। इकरार करने के बाद 19 दिसंबर को आरोपी के कहने पर जमीन की रजिस्ट्री करवाई। कुछ दिन बाद पता चला कि आरोपी ने धोखे से भूखण्ड के स्थान पर सवा तीन बीघा जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। जिला पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक के सुपरविजन में बडगांव थानाधिकारी पूरणसिंह के नेतृत्व में गठित दल ने दलीचंद पुत्र चुन्नीलाल निवासी दुर्गा कॉलोनी नीमच खेड़ा देवाली व नन्दलाल उर्फ नन्दू पुत्र काुका निवासी रेड़ा मोहल्ला शौभागपुरा को गिरफ्तार किया। जिनसे पूछताछ की।

किशोरी ने की आत्महत्या

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना क्षैत्र में किशोरी ने विषाक्त वस्तु सेवन कर आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलोद देबारी प्रतापनगर निवासी भूमिका गायरी (15) पुत्री भगवतीलाल गायरी ने शुक्रवार सवेरे विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया। जिसे तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जहां उसकी मौत हो गई । सूचना मिलने पर हेडकांस्टेबल अमरसिंह ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। प्रारंभिक अनुसंधान में भूमिका द्वारा पारिवारिक रंजिश के चलते सेल्फोन खाने की जानकारी सामने आई है।

निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

राजसमन्द, (निसं)। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं देखी। कलक्टर औचक निरीक्षण के दौरान सनवाड, पूठोल, उमटी, जांजर में स्थित राउमावि पहुंचे। चारों विद्यालयों में शौचालयों की हालत खराब और असंतोषजनक पाई गई जिस पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से साफ-सफाई बेहतर कर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। कलक्टर ने यहां डीएमएफ्टी फंड से स्वीकृत कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्यों का भी निरिक्षण किया और गुणवत्ता पर संतोष जाहिर किया।

सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू, स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया

डूंगरपुर, (निसं)। नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, माय भारत, यातायात पुलिस तथा जिला परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सडक सुरक्षा सप्ताह दिनाक 17 से 23 जनवरी का शुभारम्भ स्थानीय भोगीलाल पंड्या कॉलेज, डूगरपुर में आयोजित किया।

सडक सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि कुलदीप सुत्रधार, अति. न्याधीश, विधिक, सेवा प्राधीकरण ने सडक सुरक्षा नियमों के महत्व और आमजन में इनकी जागरूकता की आवश्यकता की चर्चा की। उन्होनें बताया की युवाओं को जोश में होश नही खोना चाहिये। भुपेन्द्र सिंह, ट्रैफिक प्रभारी ने युवाओं को हैलमेट पहनने तथा दुर्घटनाओं से बचनें के लिऐ यातायात नियमों का पालन करनें की सलाह दी। साथ ही उन्होंने बताया की किस प्रकार युवा मृदु स्वाभाव से समझाइश कर आमजन के यातायात नियमों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। हिमान्सु राजसिंह, परिवहन विभाग ने लाईसेन्स बनानें सम्बन्धी पकिया की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की और बताया कि यदि आमजन लाइसेंस बनवाकर नियमानुसार वाहन चलाये तो अधिकाँश दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। प्रारंभ में जिला युवा अधिकारी प्रदीप कुमार ने 17 से 23 जनवरी तक चलनें वालें सप्ताह के बाारे में 25 वालियेन्टरों द्वारा प्रतिदिन कार्य करनें की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की।

दो प्रतिष्ठानों को सीज किया

■ यू डी टैक्स वसूली को लेकर निगम सख्त

उदयपुर, (कासं)। नगर निगम द्वारा लगातार यूडी टैक्स को लेकर सख्त कार्रवाई की गई है शुक्रवार को फिर से राजस्व शाखा द्वारा दो प्रतिष्ठानों को सीज किया गया।

नगर निगम राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर ने बताया कि आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर नगरीय विकास कर वसूलने को लेकर बडी कार्यवाही करते हुए 2 संपतियों को सीज किया गया। बुधवार की तर्ज पर शुक्रवार को मालदास स्ट्रीट नीम का चौक में जिनेश तलेसरा की संपत्ति जिसका नगरीय विकास कर कुल 10,04,964/- बकाया था जिसे सीज किया गया। वहीं फतहपुरा पुला रोड स्थित रमेश चन्द्र ताराचन्द्र पटेल की संपत्ति का कुल 22,64,394/- रुपए नगरीय विकास कर बकाया था जिसे भी सीज किया गया। इनके द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा नहीं कराने से नगर निगम द्वारा इन व्यावसायिक सम्पतियों पर ताला लगा व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द करा दी गई। निगम ने नोटिस में अंकित किया की नगरीय विकास एंव स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना के तहत के वर्ष 2007 से 2023 तक उक्त संपत्ति का नगरीय विकास कर की पूरी रकम बकाया है। संबंधित फर्मों द्वारा टैक्स बकाया रहने के लिए कोई संतोषप्रद का कारण भी नही बताया गया है। फर्म से कुल बकाया का नोटिस भी तामिल करवाया जा चुका था। सभी कार्यवाही पूरी करने के उपरांत निगम ने कार्यवाही कर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा की उपबंधो के अधिन यू डी टैक्स की वसूली की पूर्ती हेतु तीनों संपतियो को सीज करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी के साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल और पुलिस बल मौजूद रहा।नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने कहा है कि नगरीय विकास कर सरकार द्वारा हर हाल में वसूल किया जाएगा। 1 वर्ष बाद राज्य सरकार द्वारा इसमें छूट प्रदान की है। जिसे भी अपनी संपत्ति को सीज होने से बचाना है वह जल्द से जल्द नगर निगम में अपना बकाया यूडी टैक्स जमा करावे।

तीन गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। प्राणघाक हमला करने वाले तीनआरोपियों को ऋषभदेव थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 जनवरी को पीडित लीला पत्नी हाजाराम निवासी भूधर फला भुततलाई ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। कि दोहर में मेरा पति हाजाराम, पुत्र आशिष, विकास व ससुर शंकर घर पर बैठे थे। इसी दौरान दिनेश का पुत्र करूण उर्फ करण, निलेश तथा उसके परिवार का अमृतलाल ने घर में घुस कर लठ्ठ व हथियार से हमला कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उप अधीक्षक राजीव राहर के सुपरविजन में ऋषभदेव थाना एएसआई श्यामसुन्दर मय टीम ने आरोपी करण उर्फ करूण तथा निलेश व अमृतलाल को गिरफ्तार किया।

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद
क्रमांक : नपरा/राजस्व/2024-25/2747 दि. 16.1.2025
आपत्ति सूचना पत्र
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कालुसिंह दसाणा पिता श्री रामसिंहजी दसाणा निवासी कुंवारिया, पोस्ट आत्मा, तहसील कुंभलगढ़ जिला-राजसमंद द्वारा पैतृक/खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/ वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम राजनगर के आराजी नं. 1441, पट्टा संख्या 5838 दिनांक 30.1.2024 भुखंड संख्या ए 17 का क्षेत्रफल 774.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रय शुदा/प्राप्तशुदा उक्त भुखंड संख्या ए 17 का क्षेत्रफल 774.00 वर्गफीट का उपविभाजन/एकीकरण/ नामांतरण/ तामीर स्वीकृति चाही गई है जिसके पड़ौस निम्नानुसार है

पूर्व	06.54 मी.	पड़ौस	भूखंड संख्या ए-32
पश्चिम	06.54 मी.	पड़ौस	रास्ता 9.0 मीटर चौड़ा
उत्तर	11.00 मी.	पड़ौस	रास्ता 9.0 मीटर चौड़ा
दक्षिण	11.00 मी.	पड़ौस	भूखंड संख्या ए-18

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/ एकीकरण में जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद
क्रमांक : नपरा/राजस्व/2024-25/2751 दि. 16.1.2025
आपत्ति सूचना पत्र
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती ललिता कुंवर खखड़ पत्नी श्री सोहनसिंहजी निवासी कुंवारिया जिला-राजसमंद द्वारा पैतृक/खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/ वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम राजनगर के आराजी नं. 1441, पट्टा संख्या 5849 दिनांक 30.1.2024 भुखंड संख्या ए 28 का क्षेत्रफल 774.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रय शुदा/प्राप्तशुदा उक्त भुखंड संख्या ए 28 का क्षेत्रफल 774.00 वर्गफीट का उपविभाजन/ एकीकरण/ नामांतरण/ तामीर स्वीकृति चाही गई है जिसके पड़ौस निम्नानुसार है

पूर्व	06.54 मी.	पड़ौस	रास्ता 9.0 मीटर चौड़ा
पश्चिम	06.54 मी.	पड़ौस	प्लॉट नं. ए 21
उत्तर	11.00 मी.	पड़ौस	प्लॉट नं. ए 29
दक्षिण	11.00 मी.	पड़ौस	प्लॉट नं. ए 27

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/ एकीकरण में जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद
क्रमांक : नपरा/राजस्व/2024-25/2748 दि. 16.1.2025
आपत्ति सूचना पत्र
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कालुसिंह दसाणा पिता श्री रामसिंहजी दसाणा निवासी कुंवारिया, पोस्ट आत्मा, तहसील कुंभलगढ़ जिला-राजसमंद द्वारा पैतृक/ खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/ वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम राजनगर के आराजी नं. 1441, पट्टा संख्या 5839 दिनांक 30.1.2024 भुखंड संख्या ए 18 का क्षेत्रफल 774.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रय शुदा/प्राप्तशुदा उक्त भुखंड संख्या ए 18 का क्षेत्रफल 774.00 वर्गफीट का उपविभाजन/एकीकरण/ नामांतरण/ तामीर स्वीकृति चाही गई है जिसके पड़ौस निम्नानुसार है

पूर्व	06.54 मी.	पड़ौस	भूखंड संख्या ए-31
पश्चिम	06.54 मी.	पड़ौस	रास्ता 9.0 मीटर चौड़ा
उत्तर	11.00 मी.	पड़ौस	भूखंड संख्या ए-17
दक्षिण	11.00 मी.	पड़ौस	भूखंड संख्या ए-19

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/ एकीकरण में जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद
क्रमांक : नपरा/राजस्व/2024-25/2750 दि. 16.1.2025
आपत्ति सूचना पत्र
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रेखा बाई पत्नी श्री गेहरीलालजी सालवी निवासी कुंवारिया आत्मा, तहसील कुंभलगढ़ जिला-राजसमंद द्वारा पैतृक/खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/ वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम राजनगर के आराजी नं. 1441, पट्टा संख्या 5841 दिनांक 30.1.2024 भुखंड संख्या ए 20 का क्षेत्रफल 774.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रय शुदा/प्राप्तशुदा उक्त भुखंड संख्या ए 20 का क्षेत्रफल 774.00 वर्गफीट का उपविभाजन/ एकीकरण/ नामांतरण/ तामीर स्वीकृति चाही गई है जिसके पड़ौस निम्नानुसार है

पूर्व	06.54 मी.	पड़ौस	भूखंड संख्या ए 29
पश्चिम	06.54 मी.	पड़ौस	रास्ता 9.0 मीटर चौड़ा
उत्तर	11.00 मी.	पड़ौस	भूखंड संख्या ए 19
दक्षिण	11.00 मी.	पड़ौस	भूखंड संख्या ए 21

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/ एकीकरण में जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद
क्रमांक : नपरा/राजस्व/2024-25/2752 दि. 16.1.2025
आपत्ति सूचना पत्र
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मंजु बाई पत्नी श्री प्रेमसिंहजी परमार निवासी बंशावलियों का गुड़ा पोस्ट पुनावली तहसील व जिला-राजसमंद द्वारा पैतृक/खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/ वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम राजनगर के आराजी नं. 4141, पट्टा संख्या 5848 दिनांक 30.1.2024 भुखंड संख्या ए 27 का क्षेत्रफल 774.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रय शुदा/प्राप्तशुदा उक्त भुखंड संख्या ए 27 का क्षेत्रफल 774.00 वर्गफीट का उपविभाजन/ एकीकरण/ नामांतरण/ तामीर स्वीकृति चाही गई है जिसके पड़ौस निम्नानुसार है

पूर्व	06.54 मी.	पड़ौस	रास्ता 9.0 मीटर चौड़ा
पश्चिम	06.54 मी.	पड़ौस	प्लॉट संख्या ए 22
उत्तर	11.00 मी.	पड़ौस	भूखंड संख्या ए 28
दक्षिण	11.00 मी.	पड़ौस	भूखंड संख्या ए 26

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/ एकीकरण में जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

GMCH
GEETANJALI HOSPITAL
HEALTH IS HAPPINESS

विश्वस्तरीय इलाज का नया आयाम

गीतांजली हॉस्पिटल, उदयपुर
की अत्याधुनिक एवं दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी
हेमोडायलिसिस यूनिट

+ अल्ट्रा मॉडर्न डायलिसिस मशीन + मेडिकल ग्रेड रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) सिस्टम + 24 घंटे DM नेफ्रोलॉजिस्ट व अनुभवी स्टाफ की देख रेख
+ हीमोडायफिल्ट्रेशन (HDF) जैसे आधुनिक उपचार + कंटीन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी (CRRT) + स्लो लौ एफिशिएंसी डायलिसिस (SLED) + रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम
+ आरामदायक बिस्तर, इलेक्ट्रिक रिक्लाइनिंग कुर्सियाँ, टीवी और परिवेशीय सेटिंग + आपातकालीन रोगियों की आईसीयू देखभाल + फिस्टुला बनाने की सुविधा

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (RGHS)
सभी सरकारी, निजी, टी.पी.ए. (TPA) व इन्श्योरेन्स से अधिकृत।

गीतांजली मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, उदयपुर (राज.)
नेशनल हाईवे-8 बायपास, एकलिंगपुरा चौराहा के पास

91191 17766
0294 2500044